(१५)

12/13/2017-डीपीडी

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2017

अधिसूचना

विषय: व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफ़रल बोनस योजना का विस्तार और संशोधन ।

जबकि, केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम प्लेटफॉर्म पर नए उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए भीम के किसी मौजूदा उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित करने और नए उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ता के साथ भीम का उपयोग करके लेनदेन करने या भीम पर नए उपयोगकर्ताओं को लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लेनदेनों की संख्या बढ़ाने हेतु व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफ़रल बोनस नामक एक योजना अधिसूचित की थी।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है ।

अब केंद्र सरकार एतदद्वारा व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफ़रल बोनस नामक योजना विषय के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-। खण्ड-। में प्रकाशित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. पैराग्राफ 2 में किए गए प्रावधानों के लिए : उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

195

1.1 पैराग्राफ 2.1 - व्यक्तियों के लिए भीम रेफरल बोनस नामक योजना तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2018 तक चालू रहेगी ।

1.2 पैराग्राफ 2.3 – किसी भी नए व्यक्ति, जो कम से कम 50 रुपए के एकीकृत मूल्य के पहले तीन विशिष्ट लेनदेन करता है, को किसी रेफरर के बिना भी बोनस का भुगतान किया जाएगा ।

1.3 पैराग्राफ 2.4 –

रेफरल बोनस कैशबैक की राशि	प्रति भीम प्रयोक्ता कुल राशि (रुपए में)
नया भीम प्रयोक्ता (रेफरी) (प्रति व्यक्ति)	25
रेफरर (प्रति व्यक्ति)	25
कुल रेफरल बोनस की राशि	50

2. अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी ।

सं.कु. राकेश

(संजय कुमार राकेश)
संयुक्त सचिव